

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ,

संख्या-एमई-3/2017/1089

लखनऊ: दिनांक-08 अगस्त,2017

नीट यू०जी०-2017 की द्वितीय आनलाईन काउंसिलिंग हेतु सिक्योरिटी धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में अति आवश्यक सूचना

नीट यू०जी०-2017 की द्वितीय आनलाईन काउंसिलिंग हेतु राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटन हेतु सिक्योरिटी धनराशि के रूप में रू० 20,000/- (रू० बीस हजार मात्र) एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु सिक्योरिटी धनराशि के रूप में रू० 2,00,000/-(रू० दो लाख मात्र) केवल बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही अभिलेखों के सत्यापन केन्द्र पर जमा किया जाना अनिवार्य होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भुगतान अनुमन्य/स्वीकार्य नहीं होगा। विस्तृत सूचना विभाग की वेबसाइट <https://upneet.gov.in> तथा www.updgme.in पर उपलब्ध है।

महानिदेशक